न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2019

दायर दिनांकः 11.11.2019

निर्णय दिनांक 20.02.2020

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द

प्रार्थी

—:बनामः—

श्री दौलत सिंह, उचित मूल्य दूकानदार, पुठोल, ग्रा0पं0 मुण्डोल तह0 व जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश) 1976, केरोसीन (रेस्ट्रीक्शन ऑन युज एण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलींग प्राईज) आदेश 1993 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2001 के तहत अधिग्रहित केरोसीन 85 लीटर केरोसीन घोषित स्टॉक से अधिक पाये जाने से जब्त सरकार कर राजसात (Conficate) करने बाबत।

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार प्रार्थी

2— अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 06.11.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 25.10.2019 को निरीक्षण के दौरान नीला केरोसीन स्टॉक रजिस्टर एवं पॉस मशीन के अनुसार दर्ज केरोसीन की मात्रा समान रूप से शुन्य पाई गई, लेकिन दुकान मे अवैध रूप से उपभोक्ताओं को वितरण से बचाकर 85 लीटर केरोसीन भण्डारित पाया गया। डीलर के पास 85 लीटर केरोसीन् वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया। उक्त अवैध रूप से संग्रहित 85 लीटर केरोसीन स्टॉक जब्त कर श्री गोर्वधनलाल, उचित मुल्य दुकानदार, मुण्डोल तहसील राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अतः अनुरोध है कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त जब्तशुदा 85 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थिति दी और दिनांकः 05.12.2019 को जवाब प्रस्तुत किया तथा दिनांक 20.01.2020 को संबंधित उपभौक्ताओं के तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने योग्य होना बताया गया।

अप्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार की मेरिट पर बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि दिनांक 25.10.2019 को निरीक्षण के दौरान नीला केरोसीन स्टॉक रजिस्टर एवं पॉस मशीन के अनुसार दर्ज केरोसीन की मात्रा समान रूप से शुन्य पाई गई, लेकिन दुकान मे अवैध रूप से उपभोक्ताओं को वितरण से बचाकर 85 लीटर केरोसीन भण्डारित पाया गया। डीलर के पास 85 लीटर केरोसीन वांछित स्टॉक के मुकाबले अधिक पाया गया। उक्त अवैध रूप से संग्रहित 85 लीटर केरोसीन स्टॉक जब्त कर श्री गोर्वधनलाल, उचित मुल्य दुकानदार, मुण्डोल तहसील राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अतः अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 85 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन मनन् किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से 85 लीटर नीला केरोसीन की निरीक्षण दल रसद द्वारा की गयी जांच में कालाबाजारी की नियत से अवैध रुप से पाया गया और उक्त नीला केरोसीन जब्त कर श्री गोर्वधनलाल, उचित मुल्य दुकानदार, मुण्डोल तहसील राजसमन्द की सुपुदर्गी में दिया गया। अप्रार्थी की ओर से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के खण्डन में बताया कि नेट समस्या से पर्ची तो निकल गयी परन्तु उपभोक्ता पीपी नही लाने के कारण केरोसीन नही ले सके थें। जिसके लिए उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये गये हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता हैं कि अप्रार्थी द्वारा उक्त नीला केरोसीन का अवैध रुप से कालाबाजारी की नियत से रखा गया था जो कि राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश) 1976 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2001 का स्पष्ट उल्लंघन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 का भी उल्लंघन हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 85 लीटर नीला केरोसीन राजसात किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से 85 लीटर जब्तशुदा नीला केरोसीन को राजसात किया जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी,राजसमंद को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त जब्तशुदा नीला केरोसीन नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)